प्रेस नोट दिनाँक-05.09.2021

(1). आज दिनाँक 05.09.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रांत कुमार शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल की अध्यक्षता में सीतापुर रामायण मेला परिसर में भाद्रपद अमावस्या मेला में डियूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस बल को ब्रीफ करते हुये बताया गया कि अपनी डियूटी पोइन्ट पर समय से पहुंचे तथा पूर्ण सतर्कता से डियूटी करें। अपना डियूटी पोइन्ट छोड़कर अन्य स्थान पर न जायें । दर्शनार्थियों से अच्छा व्यवहार करें। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मास्क लगाकर रखें, हाथों में ग्लब्स पहनकर रखें।

मेला डियूटी में जनपद एवं बाह्य जनपद से कुल 11 क्षेत्राधिकारी, 36 प्रभारी निरीक्षक/निरीक्षक, 156 उ0नि0, 12 महिला उ0नि0, 380 मुख्य आरक्षी/आरक्षी, 07 उ0नि0 यातायात, 47 मुख्य आरक्षी/आरक्षी, 10 उ0नि0 एलआईयू, 20 मुख्य आरक्षी/आरक्षी एलआईयू, 04 फायर टेण्डर, 01 डॉग स्क्वायड, 01 एस चैक टीम लगाये गये हैं।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी श्री जी.पी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एसपी सोनकर, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, मेला डियूटी में बाह्य जनपदों से आये क्षेत्राधिकारीगण एवं डियूटी हेतु आये अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). आज दिनाँक 05.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में भाद्रपद अमावस्या मेले के दृष्टिगत ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी। इस निरगाने के दौरान ड्रोन केमरे से रामघाट, परिक्रमा मार्ग, खोही पंचायत, भवन लक्ष्मण पहाड़िया तथा शिवरामपुर तिराहा पर सदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नगर रखी गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव तथा उनकी टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का खुलाशा करते हुये 01 चोर को चोरी के मोबाइल फोन, 5000/- रुपये व अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

आज दिनाँक 05.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कौहारी मोड के पास से अभियुक्त कल्लू उर्फ खालिद नट पुत्र राजा नट निवासी बनियन पुरवा सियार पाखा थाना नरैनी जनपद बांदा को 01 अदद अवैध व 02 अदद तमंचा कारतूस 315 बोर तथा एक सैमसंग मल्टीमीडिया मोबाइल फोन तथा 5000/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदशुदा मोबाइल फोन व रुपयों के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछा गया तो बताया कि मैं नट जाति का हूँ और गांवो में जाकर गोदना गोदने का काम करता हूँ। जिस गांव मे जाता हूँ वहां पर घरो ने चोरी करने हेतु रेकी भी कर लेता हूँ। फिर मैं अपने साथियो के साथ वहां चोरी की घटना को अंजाम देता हूं। आज से लगभग 35-40 दिन पूर्व मैं और मेरा साथी गुलाब नट पुत्र कल्लू व चिरौंजी लाल पुत्र कल्लू नि0 गण पल्हरी थाना नरैनी जनपद बांदा नें मिलकर इसी पहाड़ी क्षेत्र के गांव अशोह में चोरी किया था जिसमे जेबर व 60000 रूपये तथा एक मोबाइल फोन मिला था। हम तीनो के बीच रूपये का बंटवारा हो गया था।मेरे हिस्से मे जो रूपये आए थे वह खर्च हो गये और मोबाइल फोन यही था जो आपने बरामद कर लिया है। लेकिन अभी तक जेवर का बंटवारा नही हुआ है। वह अभी भी गुलाब नट के पास है। इसी प्रकार हम तीनो मिलकर दूसरी घटना आज से करीब 2.5 माह पूर्व में ग्राम रेहुंटा के मजरा ठीका पुरवा में चोरी किया था उसमें हमे 2 लाख रूपये नगद मिले थे जो हम तीनो लोगो में बट गया था मेरे हिस्से में उसमे 70000 रूपये मिला था जिसमे से 65000 रूपये खर्च हो गये है शेष 5000 रूपये बचे है जो आज आपने बरामद कर लिया है।

ग्राम अशोह की चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 119/21 धारा 457/380 भादवि0 तथा ग्राम ठीका पुरवा की चोरी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 91/21 धारा 457/380 भादवि0 पंजीकृत है। माल बरामदगी के सम्बन्ध में दोनों चोरी की घटना से सम्बन्धित अभियोगों में धारा 411 भादवि के बढ़ोत्तरी की गयी तथा अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 120/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरणः-

कल्लू उर्फ खालिद नट पुत्र राजा नट निवासी बनियन पुरवा सियार पाखा थाना नरैनी जनपद बांदा

बरामदगीः-

1. मु0अ0सं0 119/21 धारा 457/380/411 भादवि के सम्बन्धित चोरी का मोबाइल फोन
2. मु0अ0सं0 91/21 धारा 457/380/411 भादवि के सम्बन्धित चोरी के 5000/- रुपये
3. 01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. **प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव**
2. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिहं
3. मुख्य आरक्षी चालक मधुसूदन पाठक
4. आरक्षी पंकज कुमार
5. आरक्षी आशीष कुमार

(4). आज दिनांक 05.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा भाद्रपद अमावस्या मेले के दृष्टिगत रामघाट, परिक्रमा मार्ग, लक्ष्मण पहाड़ी का भ्रमण कर किया गया। महोदय द्वारा भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर मेला सकुशल संपन्न कराने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पांडेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी वीरेंद्र त्रिपाठी, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री रामवीर सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव द्वारा अभियुक्त 1. आशाब पुत्र मुन्ने उर्फ लतीफ निवासी आधारगंज 2. अवधेश उर्फ आदि उर्फ मिथुन पुत्र विजय निवासी वीजेमऊ 3.अतीक पुत्र रहीसउद्दीन अहमद निवासी बहरुपुर थाना कंधाई 4. राहुल यादव उर्फ लंबू पुत्र दिलीप यादव निवासी वीजेमऊ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। इन अभियुक्तों द्वारा संगठित गैंग बनाकर अनैतिक रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित किया जाता था। उपरोक्त अभियुक्तो द्वारा थाना पहाड़ी क्षेत्र से ट्रक चोरी किया गया था तथा इनके विरुद्ध बाह्य जनपदों में चोरी के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं विक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 40 लीटर कच्ची शराब, 05 क्विंटल लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये।

(क). थाना राजापुर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर हनुमानगंज कस्बा राजापुर से 30 लीटर कच्ची शराब व 05 क्विंटल लहन व शराब बनाने के अलग अलग उपकरण के बरामद किये गये। अवैध शराब लहन व शराब बनाने के उपकरणों की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्ता 1. कलावती पत्नी स्व0 रमेशी 2. मनोजा पत्नी स्वर0 मिंटू 3. पाली पत्नी लौरी निवासीगण हनुमानगंज थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया

(ख). थाना मारकुंडी एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा अभियुक्त सत्यदेव यादव पुत्र स्वर्गीय रामनरेश यादव निवासी छिछरिया खुर्द थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुंडी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी की अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी रामाश्रय यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 164/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि के वारंटी अभियुक्त राजेंद्र प्रजापति पुत्र हरछठी निवासी लोहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट तथा मु0अ0सं0 153/16 धारा 323/504/506 भादवि0 व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त 1. राजा सिंह 2. सागर सिंह पुत्रगण राजेंद्र सिंह निवासी का औदहा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना पहाड़ी
2. आरक्षी लल्लू
3. आरक्षी विजेन्द्र

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजेश हरिजन पुत्र नंगू हरिजन निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 79/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

25 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी अश्विनी कुमार

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक 05.09.2021 को भाद्रपद अमावस्या मेला के दृष्टिगत एलआईयू प्रभारी श्री शिवसागर तिवारी के नेतृत्व में परिक्रमा मार्ग एवं रामघाट पर एस. चेक टीम बांदा तथा डॉग स्क्वायड जनपद चित्रकूट द्वारा संयुक्त रुप से सघन चेकिंग करवायी गयी।

(10). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 3.0 के अन्तर्गत श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 05.09.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ में, एण्टी रोमियों टीम थाना मारकुण्डी द्वारा सबरी जल प्रपात में आये हुये पर्यटकों को, एण्टी रोमियों टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी के विसण्डा रोड, बस स्टैण्ड व मुहल्लों में, एण्टी रोंमियों टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैण्ड मऊ, बाजार रोड, मण्डौर रोड में, एण्टी रोमियों टीम थाना रैपुरा द्वारा रामनगर में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया।